CIN : U93000DL1989NPL034967

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन

(भारत सरकार का उपक्रम)

NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION

(A Government of India Undertaking)

एनएसएफडीसी/सचि/28वीं वाआबै/1886–1896 22 सितंबर, 2017

नोटिस

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की 28वीं वार्षिक आम बैठक 29.09.2017 (शुक्रवार) को दोपहर 12:00 बजे सम्मेलन कक्ष, रूम सं. 603, 'ए' विंग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली–110001 में निम्नलिखित कार्य संपन्न करने के लिए होगी:

सामान्य कार्य

1. 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी की लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणिका, निदेशकों की रिपोर्ट और सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट, उस पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों और प्रबंध समिति के उत्तर पर विचार करना, अपनाना और निम्नलिखित संकल्पों को संशोधन सहित अथवा बिना संशोधन के साधारण संकल्प के रूप में पास करना:

   "**संकल्प किया जाता है कि** 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी की लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणिका, निदेशकों की रिपोर्ट और सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट, उस पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों और प्रबंध समिति के उत्तर को प्राप्त किया, विचार किया और अपनाया।"

2. निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए निगम के सांविधिक लेखापरीक्षक के पारिश्रमिक पर विचार करने और बिना संशोधन के एक साधारण संकल्प के रूप में पास करना;

   "**संकल्प किया जाता है कि** वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त मैसर्स माथुर गुप्ता एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट, नई दिल्ली को 1,25,000/– रुपए वार्षिक (समग्रतः सेवाकर अतिरिक्त) की सांविधिक लेखापरीक्षक की फीस निर्धारित की जाती है।"

कृते निदेशक मंडल के आदेशानुसार

(अन्नु भोगल)
कंपनी सचिव

स्थान : दिल्ली
दिनांक : 22.09.2017

टिप्पणी:

बैठक में भाग लेने एवं वोट देने के लिए अधिकृत सदस्य को अपने स्थान पर किसी प्रतिनिधि को बैठक में भाग लेने के लिए एवं अपने स्थान पर परोक्षी नियुक्त करने का अधिकार है। परोक्षी को कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। (परोक्षी फार्म संलग्न है)।

पंजीकृत एवं प्र.का. : 14वीं मंजिल, कोर 1 और 2, स्कोप मीनार, लक्ष्मी नगर जिला केंद्र, दिल्ली–110092
Regd. & H.O.: 14th Floor, SCOPE Minar, Core - 1 & 2, Laxmi Nagar District Centre, Laxmi Nagar, Delhi-110092
दूरभाष/Phone: 22054391, 22054392, 22054394, 22054396 फैक्स/Fax : 22054395, 22054349
ई–मेल/E-mail : support-nsfdc@nic.in website: www.nsfdc.nic.in

कंपनी सूचना

निदेशक मंडल (2016–17)

श्री श्याम कपूर
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
(29.07.2016 से)

श्री रबीन्द्र कुमार सिंह
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
(दिनांक 31.08.2013 से 29.07.2016 तक)

श्री बी.एल. मीणा
(दिनांक 04.06.2015 से)

श्रीमती आइन्द्री अनुराग
(दिनांक 04.06.2015 से)

श्रीमती टी.सी.ए. कल्याणी
(दिनांक 14.01.2016 से)

श्री गुलाब सिंह
(दिनांक 26.08.2014 से)

श्री एस.एम. आवले
(दिनांक 04.06.2015 से)

श्री ललित मौर्य
(दिनांक 21.10.2015 से 25.01.2017 तक)

कंपनी सचिव
श्रीमती अन्नु भोगल

सांविधिक लेखापरीक्षक
मैसर्स माथुर गुप्ता एंड एसोसिएट्स,
सनदी लेखाकार,
401, अंसल्स प्रगति दीप,
लक्ष्मी नगर वाणिज्यिक कॉम्पलेक्स,
दिल्ली–110 092

बैंकर्स
सिंडिकेट बैंक, दिल्ली
केनरा बैंक, दिल्ली / मुंबई / कोलकाता / बेंगलूरू
भारतीय स्टेट बैंक, नई दिल्ली
कॉर्पोरेशन बैंक, दिल्ली
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, दिल्ली
पंजाब नेशनल बैंक, दिल्ली
विजया बैंक, दिल्ली
इंडियन ओवरसीज बैंक, दिल्ली
इलाहाबाद बैंक, दिल्ली
आईडीबीआई, दिल्ली
बैंक ऑफ बड़ौदा, दिल्ली
बैंक ऑफ इंडिया, दिल्ली
आंध्रा बैंक, दिल्ली
पंजाब एंड सिंध बैंक, दिल्ली
सैंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, दिल्ली
ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, दिल्ली

पंजीकृत कार्यालय
नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन
(भारत सरकार का उपक्रम)
14वीं मंजिल, स्कोप मीनार, कोर 1 व 2,
लक्ष्मी नगर जिला केंद्र,
लक्ष्मी नगर, दिल्ली – 110 092.

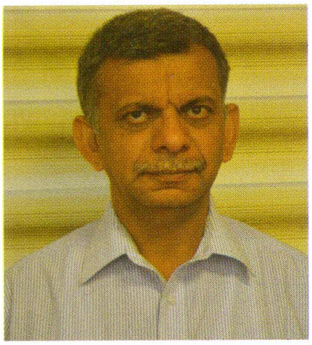

29 सितंबर, 2017 को एनएसएफडीसी की 28वीं वार्षिक आम बैठक पर अध्यक्षीय संदेश

प्रिय सदस्यगण,

निदेशक मंडल की ओर से मैं निगम की 28वीं वार्षिक आम बैठक में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं इस विशिष्ट अवसर पर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं।

आप सभी सदस्यों को 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट, निदेशकों की रिपोर्ट, लेखा–परीक्षित वार्षिक लेखे, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों को पहले ही परिचालित कर दिया गया है और आपकी अनुमति से मैं इसे पढ़ा समझूंगा।

आपको सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आपके निगम ने इस बार भी सरकार के साथ हस्ताक्षरित समझौता–ज्ञापन 2015–16 के तहत अपनी 'उत्कृष्ट रेटिंग' को बनाए रखा है। 31 मार्च, 2017 को आपके निगम की प्राधिकृत अंश पूंजी 1500.00 करोड़ रुपए थी और प्रदत्त अंश पूंजी 1218.02 करोड़ रुपए थी।

- **मुख्य उपलब्धियां**

प्रस्ताव की स्वीकृति

वर्ष के दौरान, आपके निगम ने, योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए एससीए/सीए को 500.00 करोड़ रुपए के लक्ष्य (समझौता–ज्ञापन के अंतर्गत 'उत्कृष्ट' लक्ष्य) की तुलना में 550.90 करोड़ रुपए के मूल्य के प्रस्ताव स्वीकृत किए।

संवितरण और लाभार्थी

वर्ष के दौरान, आपके निगम ने, 25 राज्यों और 3 संघ शासित क्षेत्रों में 82,105 लाभार्थियों को लाभान्वित करने के लिए योजनाएं कार्यान्वित करने हेतु एससीए/सीए को 478.98 करोड़ रुपए संवितरित किए।

कौशल विकास कार्यक्रम

आपका निगम, नवीन उभरते हुए क्षेत्रों में लक्ष्य समूह के बेरोज़गार युवाओं के लिए रोजगार का अवसर प्रदान करने वाले कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रायोजित करता है। ये कार्यक्रम वेतन नियोजन के लिए उद्योगों के साथ संबंध रखने वाले प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा आयोजित किए जाते हैं। वर्ष के दौरान, आपके निगम ने 17,008 प्रशिक्षणार्थियों के लिए कौशल प्रशिक्षण आयोजित किए, जिनमें से 5,929 प्रशिक्षणार्थियों ने प्रशिक्षण पूर्ण किया (वर्ष 2015–16 में मंजूर कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों में से 5142 प्रशिक्षणार्थियों ने प्रशिक्षण पूर्ण किया)। प्रशिक्षणार्थियों को नियोजन सहायता और स्व–व्यवसाय शुरू करने के लिए उद्यमिता मार्गदर्शन भी दिया गया।

- **विशेष पहल**

2016–17 के दौरान, आपके निगम ने अपनी गतिविधियों को और बढ़ाने तथा सुदृढ़ करने के लिए विशेष पहलें की हैं, उनमें से कुछ इस प्रकार हैं:

(i) नए चैनल पार्टनरों को जोड़ना

अपनी पहुंच को बढ़ाने के लिए, विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां अनुसूचित जाति की जनसंख्या लगभग 76.4% है, आपके निगम ने विद्यमान राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (एससीए) के अलावा वैकल्पिक चैनल पार्टनरों के साथ करार हस्ताक्षरित किए हैं। आपके निगम ने सार्वजनिक क्षेत्र के तीन बैंकों नामतः केनरा बैंक, विजया बैंक और देना बैंक तथा 15 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी), जिसमें असम ग्रामीण विकास बैंक, पल्लावन ग्रामा बैंक, पंजाब ग्रामीण बैंक, ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यवर्त, पांडयनग्रामा बैंक, मध्यांचल ग्रामीण बैंक, आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक, पुडुवई भरतियार ग्रामा बैंक, कावेरी ग्रामीण बैंक, सप्तगिरि ग्रामीण बैंक, सतलुज ग्रामीण बैंक, नर्मदा झबुआ ग्रामीण बैंक, हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, बिहार ग्रामीण बैंक, लांगपी देहांगी रूरल बैंक शामिल हैं, के साथ करार हस्ताक्षरित किए हैं। एक गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी – लघु वित्त संस्थान, जिसमें संबंध फिन सर्व प्राइवेट लिमिटेड शामिल है, के साथ भी करार हस्ताक्षरित हुआ है।

(ii) स्वच्छ भारत अभियान

सरकार के निर्देशों के अनुपालन में आपके निगम ने, वोकहार्ड फाउंडेशन के सहयोग से, स्कोप मीनार, लक्ष्मी नगर, दिल्ली के निकट स्थित चित्रा विहार, दिल्ली में स्लम क्षेत्र में स्वच्छता और स्वास्थ्य–विज्ञान जागरूकता कार्यक्रम के दो चरण आयोजित किए। चित्रा विहार, दिल्ली के सामने स्थित जेजे क्लस्टर के अंतर्गत आने वाली एक स्लम बस्ती को चुना गया था।

पहले दिन अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक ने स्लम क्षेत्र को स्वच्छ और स्वास्थ्यकर रखने की दृष्टि से, बस्ती में स्वच्छता और स्वास्थ्य तथा मिलकर कार्य करने की आवश्यकता के मुद्दे पर स्लम बस्ती के निवासी, दिल्ली नगर निगम के अधिकारी/कर्मचारी और एनएसएफडीसी के वालंटियरों की एकत्र जनसभा को संबोधित किया। वोकहार्ड फाउंडेशन की सहायता से, स्लम क्षेत्रों के निवासियों के लिए एक निःशुल्क नेत्र शिविर आयोजित किया गया और स्लम निवासियों के लिए एक निःशुल्क, स्त्रीरोग–विज्ञान परामर्श शिविर आयोजित किया गया।

वोकहार्ड द्वारा आपूर्ति की गई 'शुद्धु गोलियां' (जलशोधक गोलियां) स्लम क्षेत्रों में रह रहे परिवारों को निःशुल्क वितरित की गई और वालंटियरों ने 'शुद्धु गोलियों' का इस्तेमाल करने में लोगों का मार्गदर्शन और सहायता की।

वालंटियरों ने स्लम में बड़े आकार की प्लास्टिक बाल्टियां वितरित कीं और इन प्लास्टिक बाल्टियों के इस्तेमाल के बारे में लोगों को जागरूक किया। एनएसएफडीसी के वालंटियरों ने स्वच्छता और स्वास्थ्य–विज्ञान अभियान के लिए घर–घर जाकर संदेश दिया और स्वास्थ्य–विज्ञान तथा अस्वच्छ शौचालय से स्वच्छ शौचालय में रूपांतरित करने की आवश्यकता पर परिवार के सदस्यों को परामर्श दिया।

एनएसएफडीसी ने स्वच्छता पखवाड़े के दौरान दिल्लीं नगर निगम के पदाधिकारियों और

कर्मचारियों के समर्पित कार्य के लिए उन्हें सम्मानित किया ताकि चित्रा विहार के स्लम में भविष्य में अपनी ड्यूटी अधिक परिश्रम से करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जा सके। चित्रा विहार में स्लम के निवासियों ने, 'अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस' के अवसर पर उनके बीच बंधन के एक प्रतीक के रूप में, दिल्ली नगर निगम के पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों के हाथों पर मित्रता बैंड बांधे।

स्लम में रह रहे कुछ बच्चों के साथ–साथ एनएसएफडीसी के वालंटियरों ने "छोड़ दो गंद फैलाना – रखो स्वच्छ गली–गली – हमारा भारत स्वच्छ रहे" नारे लगाते हुए चित्रा विहार स्लम की सड़कों और गलियों में रैली निकाली।

(iii) एमएसई के लिए सार्वजनिक प्रापण (Procurement) नीति

सूक्ष्म और लघु उद्योग (एमएसई) आदेश, 2012 की सार्वजनिक खरीद नीति के अधिदेश के अनुसार केंद्रीय मंत्रालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अपने वार्षिक वस्तुओं और सेवाओं की कुल खरीद का 20% सूक्ष्म और लघु उद्योगों (एमएसई) से करना होगा। सरकार ने इसके अलावा, इस 20% में से 4% वस्तुओं और सेवाओं की खरीद अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाली एमएसई से करने के लिए चिह्नित किया है। सूक्ष्म और लघु उद्योग (एमएसई) आदेश, 2012 की सार्वजनिक नीति के अनुपालन में, निगम ने वर्ष 2016–17 के दौरान अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। सूक्ष्म और लघु उद्योग (एमएसई) आदेश, 2012 की सार्वजनिक नीति के अनुपालन में, वर्ष 2016–17 के दौरान, एमएसएमई उद्यमियों से प्रापण के 20% के लक्ष्य की तुलना में आपके निगम ने 25.92% प्राप्त किया और अ.जा./अ.ज.जा. के एमएसएमई उद्यमियों से प्रापण के लिए 4% के लक्ष्य की तुलना में आपके निगम ने 9.87% प्राप्त किया।

(iv) ऋण प्रबंधन सॉफ्टवेयर का विकास

वर्ष के दौरान, आपके निगम ने राष्ट्रीय सूचनात्मक केंद्र सेवाएं अधिनिगमित (एनआईसी/एनआईसीएसआई), इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार की सहायता से ऋण प्रबंधन सॉफ्टवेयर तैयार किया है। यह सॉफ्टवेयर प्रचालनात्मक दक्षता में सुधार करेगा और वित्तीय लेन–देनों की कार्रवाई में प्रयासों और समय को कम करेगा। यह सॉफ्टवेयर निगम के मुख्य कार्यालय में कार्यान्वित किया गया है। ऋण प्रबंधन सॉफ्टवेयर के विकास को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के माध्यम से जन उद्यम विभाग को संसूचित किया गया था।

(v) अनुसूचित जाति कारीगर क्लस्टर का विकास

अनुसूचित जाति के कारीगरों को अधिक लाभ उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार की योजनाओं के कवरेज की दृष्टि से आपके निगम ने फरवरी, 2017 में विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), वस्त्र मंत्रालय के साथ एक समझौता–ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है। समझौता–ज्ञापन का मूल उद्देश्य, हस्तशिल्प के क्षेत्र में क्लस्टर स्तर पर, उच्च मूल्य के गुणवत्ता हस्तशिल्पों के उत्पादन और निपटान को बढ़ावा देकर अनुसूचित जाति के कारीगरों और उनके परिवारों की सहायता करना है।

(vi) सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) प्रणाली का सुदृढ़ीकरण

आपका निगम विभिन्न रिपोर्टों के सृजन के लिए आंतरिक रूप से तैयार किए गए मॉड्यूल में परियोजना संबंधी आंकड़ों के लिए डाटाबेस अनुरक्षित कर रहा है। विभिन्न वायरसों, स्पाईवेयर, एडवेयर और अन्य दोषपूर्ण प्रोग्रामों के प्रति आंकड़ों, हार्डवेयर और नेटवर्किंग के व्यापक संरक्षण के लिए आपके निगम ने एंटी वायरस सॉफ्टवेयर संस्थापित किया है, जिसे आवधिक रूप से अपडेट किया जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण के सुदृढ़ीकरण हेतु रिपोर्ट वर्ष के दौरान, पीसी, लैपटॉप, सहायक उपकरण और बाह्य उपकरणों का प्रापण किया गया।

आपके निगम ने वर्ष के दौरान, नेशनल इन्फार्मेटिक्स सेंटर (एनआईसी) द्वारा डिजाइन और विकसित की गई दिव्यांग–अनुकूल, गतिशील द्विभाषी वेबसाइट बनाई है। वर्ष के दौरान, आपके निगम ने निम्नलिखित पहलें की, अर्थात्

- ☞ सभी आवश्यक पूर्वापेक्षा पूरी करने के पश्चात् ई–कार्यालय का कार्यान्वयन, एनएसएफडीसी प्रधान कार्यालय में प्रक्रियाधीन है।
- ☞ नया वेब–आधारित एनएसएफडीसी का ऋण लेखांकन सॉफ्टवेयर वर्तमान में परीक्षण चरण के साथ–साथ समानांतर चल रहा है।
- ☞ नई गतिशील, दिव्यांग–अनुकूल और द्विभाषी वेबसाइट, जो वेब–आधारित कौशल प्रशिक्षण अनुप्रयोग के साथ–साथ भारत सरकार वेबसाइट के दिशानिर्देशों (जीआई. जीडब्ल्यू) का अनुपालन है, मौजूदा वेबसाइट को प्रतिस्थापित करके एनआईसी क्लाउड सर्वर में लगाए जाने की प्रक्रिया में है।

(vii) कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व के तहत निधियों को जुटाना

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों के तहत बोर्ड रिपोर्ट में कुछ प्रकटन करने होते हैं । आपका निगम, अधिनियम की अनुसूची–VII में उल्लिखित गतिविधियों को पूरा करता है। इस अधिनियम की धारा–8 के अंतर्गत आने वाली कंपनियों का उल्लेख 27.02.2014 को जारी अधिसूचना के तहत नए कंपनी नियम, 2014 (कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) में भी है कि वे कार्यान्वयन करने वाली एजेंसियां होंगी।

वर्ष के दौरान, आपके निगम ने लाभ कमाने वाले केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के दो उद्यमों, नामतः आईएफसीआई लिमिटेड और ऑयल एंड नैचुरल गैस कॉर्पोरेशन (ओएनजीसी) से कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के अंतर्गत स्वीकृति प्राप्त की। इसके अलावा, 2016–17 और पिछले वर्षों से संबंधित सीएसआर कार्यक्रमों के अंतर्गत पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन (पीएफसी), ऑयल एंड नैचुरल गैस कॉर्पोरेशन (ओएनजीसी), आईएफसीआई सोशल फाउंडेशन, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (कॉन्कोर) और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) से 2.83 करोड़ रुपए की धनराशि प्राप्त की।

आगे का मार्ग

आपका निगम, आर्थिक वृद्धि को तीव्रता प्रदान करने के लिए और आय बढ़ाने के लिए लक्ष्य समूह के सहायतार्थ नवीन दृष्टिकोणों को अपनाएगा। सहायता का केंद्र बिंदु आर्थिक कार्यों, व्यावसायिक/तकनीकी शिक्षा तथा रोजगार प्रदान करने वाले कौशल विकास में बना रहेगा। भौगोलिक दृष्टि से लक्ष्य समूह की बहुलता वाले

क्षेत्रों पर विशेषतः देश के पिछड़े जिलों को प्रधानता होगी। आपका निगम, अनुसूचित जाति के मध्य उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए बहु–उद्देशीय कार्यनीति अपनाने के लिए विद्यमान सहयोगी संबंधों को बनाए रखते हुए, चैनलाइजिंग एजेंसियों और अन्य विकास भागीदारों को नया भागीदार बनाएगा।

आभारोक्ति

कंपनी के निदेशक मंडल की ओर से, मैं आपकी सतत सहायता और बहुमूल्य मार्गदर्शन के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। मैं, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की पर्याप्त सहायता और सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता हूं। मैं, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, लोक उद्यम विभाग, राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र के प्रशासनों का भी आभार व्यक्त करता हूं। मैं, विभिन्न राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों, केनरा बैंक, विजया बैंक, देना बैंक और 15 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी), जिसमें असम ग्रामीण विकास बैंक, पल्लावन ग्रामा बैंक, पंजाब ग्रामीण बैंक, ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यवर्त, पांडयन ग्रामा बैंक, मध्यांचल ग्रामीण बैंक, आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक, पुडुवई भरतियार ग्रामा बैंक, कावेरी ग्रामीण बैंक, सप्तगिरि ग्रामीण बैंक, सतलुज ग्रामीण बैंक, नर्मदा झबुआ ग्रामीण बैंक, हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, बिहार ग्रामीण बैंक, लांगपी देहांगी रूरल बैंक, संबंध फिन सर्व प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं, से प्राप्त सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता हूं।

मैं, प्रशिक्षण संस्थानों को, जिनके कारण लक्ष्य समूह के लिए रोजगार के मौके उपलब्ध हुए हैं, उनके सहयोग के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूं।

मैं, अपने निगम के सभी कर्मचारियों के निष्ठापूर्वक प्रयासों के लिए आभार व्यक्त करता हूं जिसकी वजह से हम उच्च लक्ष्य प्राप्त कर सके। मैं इस यात्रा में सभी स्टेक होल्डरों के सतत सहयोग की आशा करता हूं।

(श्याम कपूर)

अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक

स्थान : दिल्ली

दिनांक : 22 सितंबर, 2017

निदेशक मंडल की रिपोर्ट (2016–17)

आपके निगम की 28वीं वार्षिक आम बैठक में, मैं आपका स्वागत करता हूं। वार्षिक आम बैठकें, लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट तथा लेखों पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की अभ्युक्तियों के साथ आपके निगम की प्रगति पर चर्चा करने के लिए अवसर है।

1. निगम की रूपरेखा

आपका निगम, नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के रूप में भारत सरकार द्वारा 08 फरवरी, 1989 को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 (अब कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन धारा 8) के अंतर्गत 'लाभ–निरपेक्ष कंपनी' के रूप में स्थापित किया गया था। इसने 09.04.2001 तक अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति दोनों लक्ष्य समूहों की आवश्यकताओं को पूरा किया है। निगम का, 10.04.2001 को, जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति लक्ष्य समूह के लिए नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के सृजन के कारण द्विभाजन हुआ। इसके द्विभाजन के परिणामस्वरूप, आपका निगम अब पूर्णतः अनुसूचित जाति के लक्ष्य समूह की आवश्यकताओं को पूरा करता है।

1.1 दृष्टि

गरीबी रेखा के दुगुने से कम पर जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के सामाजिक–आर्थिक विकास के माध्यम से व्यवस्थित प्रकार से गरीबी को कम करने के लिए चैनलाइजिंग एजेंसियों और अन्य विकास भागीदारों के साथ प्रभारी, उत्तरदायी और सहयोगात्मक तरीके से प्रमुख उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना।

1.2 लक्ष्य

वित्तीय सहायता के प्रवाह में सुधार और कौशल विकास एवं अन्य नवीन पहलों के माध्यम से अनुसूचित जातियों की समृद्धि को बढ़ावा देना।

1.3 उद्देश्य

आपके निगम के संस्था के ज्ञापन–पत्र (मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन) में, प्राप्त किए जाने वाले निम्नलिखित मुख्य उद्देश्यों की सूची दी गई है:

(i) अनुसूचित जाति की आबादी के लिए ट्रेडों और अन्य महत्वपूर्ण आर्थिक क्रियाकलापों की पहचान करना।

(ii) अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के कौशल और उनके द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली प्रक्रियाओं को उन्नत बनाना।

(iii) छोटे, कुटीर और ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देना।

(iv) अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के उत्थान और आर्थिक कल्याण के लिए विशेष कार्यक्रमों को वित्तपोषित करना।

चैनलाइजिंग एजेंसियों को 500.00 करोड़ रुपए के लक्ष्य (समझौता–ज्ञापन के अंतर्गत 'उत्कृष्ट' लक्ष्य) की तुलना में 550.90 करोड़ रुपए के मूल्य के प्रस्ताव स्वीकृत किए।

2.1.2 निधियों का संवितरण

वर्ष के दौरान, आपके निगम ने, 82,105 लाभार्थियों को लाभान्वित करने के लिए योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों/ चैनलाइजिंग एजेंसियों को 60 प्रतिशत के लक्ष्य (समझौता–ज्ञापन के अंतर्गत 'उत्कृष्ट' लक्ष्य) के प्रति 478.98 करोड़ रुपए अर्थात् 2016–17 के दौरान उपलब्ध कुल निधियों का 60.78 प्रतिशत संवितरित किया।

2.1.2(क) संवितरण और शामिल लाभार्थियों के योजना–वार ब्योरे

वर्ष 2016–17 और उससे पूर्व वर्ष के लिए संवितरण और शामिल लाभार्थियों के ब्योरे नीचे दिए जा रहे हैं:

क्रम सं.	योजना	राशि (करोड़ रुपए में)		लाभार्थी (संख्या)	
		2015-16	2016-17	2015-16	2016-17
क.	**मियादी ऋण योजना**				
(i)	मियादी ऋण	88.71	184.75	4,878	13,592
(ii)	महिला किसान योजना	0.34	0.35	86	86
(iii)	शिल्पी समृद्धि योजना	0.19	0.18	46	46
(iv)	लघु व्यवसाय योजना	143.01	169.39	15,797	11,954
(v)	शिक्षा ऋण योजना	9.80	7.06	399	308
(vi)	व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण ऋण योजना	0.00	0.28	0	21
	उप–कुल (क)	**242.05**	**362.01**	**21,206**	**26,007**
ख.	**लघु ऋण योजना**				
(i)	लघु ऋण वित्त योजना	37.67	29.16	8,879	7,267
(ii)	महिला समृद्धि योजना	98.97	87.81	41,738	48,831
(iii)	आजीविका माइक्रोफाइनेंस योजना	0.25	0.00	92	0
	उप–कुल (ख)	**136.89**	**116.97**	**50,709**	**56,098**
	सकल कुल [(क) + (ख)]	**378.94**	**478.98**	**71,915**	**82,105**

वित्तपोषण के मुख्य गतिविधियों के अंतर्गत वित्तपोषित लाभार्थियों की संख्या का राज्य–वार/ संघ शासित क्षेत्र–वार/सेक्टर–वार/क्रियाकलाप–वार विवरण **अनुलग्नक–IV** पर है।

2.1.2(ख) संवितरण और शामिल लाभार्थियों के क्षेत्र–वार ब्योरे:

क्रम सं.	योजना	राशि (करोड़ रुपए में)		लाभार्थी (संख्या)	
		2015-16	2016-17	2015-16	2016-17
(i)	मियादी ऋण				
(क)	प्राथमिक सेक्टर (भूमि, खरीद, सिंचाई और अन्य संबद्ध क्रियाकलाप)	14.43	82.17	594	7,872
(ख)	द्वितीयक सेक्टर (उद्योग)	0.26	0.26	26	13
(ग)	तृतीयक सेक्टर (सेवा व परिवहन)	74.02	102.32	4,258	5,707
	जोड़ (क) + (ख) + (ग)	**88.71**	**184.75**	**4,878**	**13,592**
(ii)	महिला किसान योजना (प्राथमिक सेक्टर)	0.34	0.35	86	86
(iii)	शिल्पी समृद्धि योजना (एकल)	0.19	0.18	46	46
(iv)	लघु व्यवसाय योजना	143.01	169.39	15,797	11,954
(v)	लघु ऋण वित्त योजना	37.67	29.16	8,879	7,267
(vi)	महिला समृद्धि योजना	98.97	87.81	41,738	48,831
(vii)	आजीविका माइक्रो फाइनेंस योजना	0.25	0.00	92	0
(viii)	शिक्षा ऋण योजना	9.80	7.06	399	308
(ix)	वोकेशनल शिक्षा एवं प्रशिक्षण ऋण योजना	0.00	0.28	0	21
	सकल जोड़ (i से ix)	**378.94**	**478.98**	**71,915**	**82,105**

2.1.2(ग) समझौता–ज्ञापन लक्ष्य की तुलना में उपलब्धियां (2016–17)

वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए समेकित समझौता–ज्ञापन लक्ष्य और उपलब्धियां **अनुलग्नक–V** पर दी गई हैं। 'उत्कृष्ट' श्रेणी के अंतर्गत सभी समझौता–ज्ञापन लक्ष्य हासिल किए गए हैं सिवाय अधिशेष/निवल मूल्य के। लेखापरीक्षित आंकड़ों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए कुल भारित अंक 97.18 हैं, जो 'उत्कृष्ट' रेटिंग के अनुरूप हैं।

2.1.2(घ) राज्य/संघ शासित–वार ब्योरा

पिछले वर्ष (2015–16) की तुलना में 2016–17 के दौरान राज्य–वार/संघ शासित क्षेत्र–वार/योजना–वार संवितरण तथा लाभार्थियों का समावेशन दर्शाने वाले ब्योरे और ग्राफ निम्नलिखित विवरण में दिए गए हैं:

क्र.सं.	विवरण	अनुलग्नक
(i)	गत वर्ष (2015–16) और चालू वर्ष (2016–17) के दौरान राज्य–वार/संघ शासित क्षेत्र–वार/योजना–वार संवितरित निधियां	VI
(ii)	चालू वर्ष (2016–17) के दौरान शामिल किए गए राज्य–वार/संघ शासित क्षेत्र–वार/योजना–वार/लिंग–वार लाभार्थी	VII
(iii)	चालू वर्ष (2016–17) के दौरान मियादी ऋण के अंतर्गत राज्य–वार/संघ शासित क्षेत्र–वार/सेक्टर–वार संवितरित निधियां और शामिल किए गए लाभार्थी	VIII
(iv)	चालू वर्ष (2016–17) के दौरान मियादी ऋण के तहत शामिल किए गए राज्य–वार/संघ शासित क्षेत्र–वार/ योजना–वार/ लिंग–वार लाभार्थी	IX

3. **प्रचालनात्मक कार्य–निष्पादन के संदर्भ में वित्तीय निष्पादन**

3.1 **आय और व्यय लेखा**

(i) वर्ष 2016–17 के दौरान, निगम की आय रु.60.17 करोड़ से बढ़कर रु.64.09 करोड़ हो गई।

(ii) कर्मचारी लागत सहित कुल व्यय रु.16.05 करोड़ लाख से घटकर 2016–17 में रु.14.47 करोड़ हो गया।

(iii) वर्ष के दौरान, रु.0.03 करोड़ की राशि के अशोध्य और संदिग्ध ऋण के लिए निवल प्रावधान किया गया।

(iv) व्यय से आय की अधिकता, वर्ष 2015–16 के दौरान रु.44.12 करोड़ की तुलना में 2016–17 के दौरान रु.49.62 करोड़ है।

3.2 **निवल संपत्ति**

निगम की निवल संपत्ति 2015–16 के दौरान रु.1456.44 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2016–17 में रु.1645.87 करोड़ हो गई है।

3.3 **प्रति शेयर अर्जन**

प्रति इक्विटी शेयर अर्जन वर्ष 2015–16 के लिए रु.44.34 और रु. 43.99 (मूलभूत और तरलीकृत) की तुलना में वर्ष 2016–17 के दौरान रु. 43.69 और रु. 43.67 (मूलभूत और तरलीकृत) है।

3.4 **लाभ का विनियोजन**

निगम व्यय से आय की अधिकता का 10% विशेष आरक्षित निधि में तथा शेष राशि सामान्य आरक्षित में अंतरित करता है। तद्नुसार, विशेष आरक्षित निधि में रु.4.96 करोड़ विनियोजित किया है और सामान्य आरक्षित में भावी संवितरण करने के लिए रु.44.66 करोड़ अंतरित किया है।

3.5 **भारत सरकार से इक्विटी सहायता**

वर्ष के दौरान, निगम ने भारत सरकार से रु.138.00 करोड़ की इक्विटी सहायता प्राप्त की और रु.478.98 करोड़ के ऋण संवितरित किए।

3.6 **एनपीए/ऋण परिसंपत्तियां**

वर्ष के दौरान एनपीए/ऋण परिसंपत्तियों का प्रतिशत 0.67 प्रतिशत है।

3.7 **प्रचालनों से राजस्व**

वर्ष के दौरान आपके निगम के प्रचालनों से राजस्व 28.88 करोड़ रुपए है।

3.8 **कर–पूर्व अधिशेष (अन्य आय, असामान्य और असाधारण मदों को छोड़कर)**

वर्ष के दौरान, आपके निगम का कर–पूर्व अधिशेष (अन्य आय, असामान्य और असाधारण मदों को छोड़कर) 14.41 करोड़ रुपए है।

3.9 **पिछले वर्ष में ऋण के रूप में स्वीकार न किए गए कंपनी के विरुद्ध दावों, केंद्रीय**

सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और अन्यों द्वारा किए गए दावों की संख्या सीमित करना

वर्ष के दौरान, आपके निगम के विरुद्ध कोई ऐसा दावा नहीं है, जिसे ऋण के रूप में मान्यता नहीं दी गई।

3.10 संवितरण/स्वीकृत ऋण

वर्ष के दौरान, आपके निगम के संवितरण/ऋण स्वीकृति का प्रतिशत 86.94% है।

3.11 ऋण परिसंपत्तियों की तुलना में अतिदेय ऋण

वर्ष के दौरान, आपके निगम की ऋण परिसंपत्तियों की तुलना में अतिदेय ऋण का प्रतिशत 26.86% है।

3.12 अधिशेष/निवल मूल्य

वर्ष के दौरान, आपके निगम के अधिशेष/निवल मूल्य का प्रतिशत 3.01% है।

4. निगम की कार्य पद्धति में सुधार

4.1 समझौता–ज्ञापन 'उत्कृष्टता' श्रेणीकरण (2015–16)

आपके निगम ने लोक उद्यम विभाग, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के माध्यम से लेखापरीक्षित आंकड़ों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए समझौता–ज्ञापन प्रस्तुत किया। लोक उद्यम विभाग, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार ने समझौता–ज्ञापन के लिए 100% का कंपोजिट स्कोर और 'उत्कृष्ट' श्रेणी प्रदान की है।

4.2 सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) प्रणाली का सुदृढ़ीकरण

आपका निगम विभिन्न रिपोर्टों के सृजन के लिए आंतरिक रूप से तैयार किए गए मॉड्यूल में परियोजना संबंधी आंकड़ों के लिए डाटाबेस अनुरक्षित कर रहा है। विभिन्न वायरसों, स्पाईवेयर, एडवेयर और अन्य दोषपूर्ण प्रोग्रामों के प्रति आंकड़ों, हार्डवेयर और नेटवर्किंग के व्यापक संरक्षण के लिए आपके निगम ने एंटी वायरस सॉफ्टवेयर संस्थापित किया है, जिसे आवधिक रूप से अपडेट किया जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण के सुदृढ़ीकरण हेतु रिपोर्ट वर्ष के दौरान, पीसी, लैपटॉप, सहायक उपकरण और बाह्य उपकरणों का प्रापण किया गया।

आपके निगम ने वर्ष के दौरान, नेशनल इन्फार्मेटिक्स सेंटर (एनआईसी) द्वारा डिजाइन और विकसित की गई दिव्यांग–अनुकूल, गतिशील द्विभाषी वेबसाइट बनाई है। वर्ष के दौरान, आपके निगम ने निम्नलिखित पहलें की, अर्थात्

- सभी आवश्यक पूर्वापेक्षा पूरी करने के पश्चात ई–कार्यालय का कार्यान्वयन, एनएसएफडीसी मुख्यालय में प्रक्रियाधीन है।
- नया वेब–आधारित एनएसएफडीसी का ऋण लेखांकन सॉफ्टवेयर वर्तमान में परीक्षण चरण के साथ–साथ समानांतर चल रहा है।
- नई गतिशील, दिव्यांग–अनुकूल और द्विभाषी वेबसाइट, जो वेब–आधारित कौशल प्रशिक्षण अनुप्रयोग के साथ–साथ भारत सरकार वेबसाइट के दिशानिर्देशों (जीआईजीडब्ल्यू) का अनुपालन है, मौजूदा वेबसाइट को प्रतिस्थापित करके एनआईसी क्लाउड सर्वर में लगाए जाने की प्रक्रिया में है।

7. **कर्मचारी और संबंधित प्रकटन का विवरण**

अधिनियम की धारा 197(12) के प्रावधान और कंपनी नियम, 2014 के नियम 5(2) 5(3) (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) के संबंध में पूर्ण वर्ष तक नियोजित रहे कर्मचारियों, जिन्हें उक्त नियमों में दी सीमा से अतिरिक्त पारिश्रमिक प्राप्त हुआ है, के नाम और विवरण इसके साथ **अनुलग्नक–XV** पर अनुबद्ध हैं।

पारिश्रमिक संबंधी प्रकटन और अधिनियम की धारा 197(2) और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5(1) के तहत आवश्यक अन्य विवरणों को वार्षिक लेखे में दिया गया है।

8. **कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)**

'कंपनी अधिनियम–2013' के अनुसार, निगम में कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व और सतत विकास (एसडी) नीति है और वित्तीय वर्ष 2016–17 में सीएसआर की गतिविधियों के लिए पिछले लगातार तीन वित्तीय वर्षों के दौरान प्राप्त निवल लाभ के 2 प्रतिशत का बजटीय आबंटन किया गया है।

एनएसएफडीसी की निगमित सामाजिक दायित्व गतिविधियों के तहत सिपेट, विजयवाड़ा के माध्यम से मशीन प्रचालक पर कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम।

2016–17 के दौरान, प्रशिक्षण पर आंशिक भुगतान के रूप में जारी किया गया प्रशिक्षण व्यय 97.07 लाख रुपए है। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान प्रशिक्षण के राज्य–वार/ट्रेड–वार ब्योरे **अनुलग्नक–X(क) और (ग)** में उपलब्ध हैं।

9. **कॉरपोरेट गवर्नेंस पर रिपोर्ट**

कंपनी, कॉरपोरेट गवर्नेंस के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और कंपनी अधिनियम, 2013 तथा लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा निर्धारित कॉरपोरेट गवर्नेंस का पालन करती है। कॉरपोरेट गवर्नेंस की रिपोर्ट इस रिपोर्ट का अविभाज्य अंग है और **अनुलग्नक–XVI** पर है। कंपनी के लेखापरीक्षकों से प्राप्त अपेक्षित प्रमाण–पत्र कॉरपोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन की पुष्टि करते हैं एवं कॉरपोरेट गवर्नेंस की रिपोर्ट **अनुलग्नक–XVII** पर अनुबद्ध हैं।

10. **निदेशक मंडल**

निदेशक मंडल की अध्यक्षता, अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक श्री रबीन्द्र कुमार सिंह (29.07.2016 तक) और श्री श्याम कपूर (29.07.2016 से) ने की। दिनांक 31.03.2017 को बोर्ड में 6 सदस्य थे। कृपया अतिरिक्त ब्योरों के लिए इस वार्षिक रिपोर्ट के साथ संबद्ध कॉरपोरेट गवर्नेंस पर रिपोर्ट का संदर्भ लें।

11. **निदेशक मंडल की बैठकें**

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, निदेशक मंडल की तीन बैठकें आयोजित हुईं। कृपया अतिरिक्त ब्योरों के लिए इस वार्षिक रिपोर्ट के साथ अनुबद्ध कॉरपोरेट गवर्नेंस पर रिपोर्ट का संदर्भ लें।

वर्ष के दौरान, लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों का सार इस प्रकार है:

तिमाही	बोर्ड बैठक की क्रम संख्या	तारीख	महत्वपूर्ण नीति निर्णय का सार / समीक्षा	
I	142	13.07.2016	1	8,36,700 शेयरों का निर्गमन ।
			2	निदेशकों द्वारा हित का प्रकटीकरण ।
			3	गुवाहाटी और लखनऊ में एनएसएफडीसी के संपर्क केंद्रों के परिसमापन का प्रस्ताव ।
			4	संशोधित कौशल विकास प्रशिक्षण नीति ।
			5	वोकहार्ड फाउंडेशन के माध्यम से मेडिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव में कौशल प्रशिक्षण ।
			6	आधार (वित्तीय और अन्य आर्थिक सब्सिडियों, लाभों और सेवाओं का लक्षित आपूर्ति) अधिनियम, 2016 का कार्यान्वयन ।
			7	31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखाओं का अनुमोदन और प्रमाणीकरण तथा वार्षिक आम बैठक आयोजित करना ।
			8	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए निगम के शेयरधारकों द्वारा निदेशक मंडल की रिपोर्ट का अंगीकरण ।
II	143	05.09.2016	1	नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (एनएसएफडी) के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक के रूप में श्री आर.के. सिंह के स्थान पर श्री श्याम कपूर की नियुक्ति और नए अ.प्र.नि. को शक्तियों का प्रत्यायोजन।
			2	13,62,200 शेयरों का निर्गमन ।
			3	वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति।
			4	'राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों के लिए कार्य–निष्पादन उत्कृष्टता हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार (एनएपीई)' योजना और 'वसूली अवसंरचना तैयार करने के लिए एससीए हेतु प्रोत्साहन योजना (आईएसएसडीआरआई) का परिशिष्ट।

तिमाही	बोर्ड बैठक की क्रम संख्या	तारीख	महत्वपूर्ण नीति निर्णय का सार/समीक्षा	
III	144	05.12.2016	1	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को निधियों के संवितरण के लिए प्रूडेंशियल नॉर्म में संशोधन।
			2	लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार कार्य–निष्पादन से जुड़ा वेतन तय करने के लिए पारिश्रमिक समिति के पुनर्गठन के संबंध में प्रस्ताव।
			3	नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा के दौरान वार्षिक लेखाओं 2015–16 पर टिप्पणियां।

11.1 पारिश्रमिक समिति

वर्ष 2016–17 के दौरान, पारिश्रमिक समिति के पुनर्गठन का निर्णय लंबित होने के कारण पारिश्रमिक समिति की बैठक नहीं हो सकी।

11.2 लेखापरीक्षा समिति

यह निगम, एक लाभ निरपेक्ष कंपनी के रूप में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 (पहले कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25) के अंतर्गत पंजीकृत है। यह न तो कोई पब्लिक कंपनी है और न ही किसी पब्लिक कंपनी की कोई सहायक कंपनी है। यह एक प्राइवेट सरकारी कंपनी है और किसी स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीबद्ध नहीं है। चूंकि यह कंपनी, सूचीबद्ध पब्लिक कंपनी की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आती, इसलिए लेखापरीक्षा समिति के गठन का उपबंध इस निगम पर लागू नहीं होता। तथापि, लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी किए गए, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति 14.01.2016 को गठित की गई थी।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, डीपीई द्वारा जारी कॉरपोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों के अनुपालन में, 14.01.2016 को 140वीं बोर्ड बैठक में डीपीई द्वारा निहित संदर्भ की शर्तों के अनुसार लेखापरीक्षण समिति का गठन किया गया, जो कि वित्तीय वर्ष 2016–17 से प्रभावी होगी।

लेखापरीक्षा समिति का गठन, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 की शर्तें पूरी करता है। कंपनी की लेखापरीक्षा समिति में चार निदेशक शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान श्रीमती टी.सी.ए. कल्याणी, लेखापरीक्षा समिति की अध्यक्ष थीं। कंपनी की कंपनी सचिव श्रीमती अन्नु भोगल, लेखापरीक्षा समिति की सचिव हैं।

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने दिनांक 05.06.2015 को अधिसूचना जारी कर धारा 8 की कंपनियों को धारा 177 की उपधारा (2) 'बहुमत बनाने वाले ऐसे स्वतंत्र निदेशकों के साथ' शब्दों का लोप किया जाएगा से धारा 8 के अधीन आने वाली कंपनियों को छूट दी है। तदनुसार, पूर्वोक्त अधिसूचना के आधार पर बोर्ड, धारा 8 की कंपनियों के लिए बतौर सदस्य किसी को भी निदेशक नामित कर सकता है जो बतौर सदस्य स्वतंत्र निदेशक होगा। लेखापरीक्षा समिति ने इस प्रकार की भूमिकाओं का निर्वहन किया है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के उपबंधों के अंतर्गत विचारित है।

(vi) प्राधिकारियों अथवा न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण द्वारा कोई विशेष या महत्वपूर्ण आदेश पारित नहीं किए गए जो कंपनी की वर्तमान स्थिति और भावी प्रचालन को प्रभावित करें।

18. आभारोक्ति

आईआईटीएफ–2016, नई दिल्ली के अवसर पर माननीय केंद्रीय मंत्री, सामाजिक न्याय और अधिकारिता श्री थावरचंद गेहलोत को स्मृति चिह्न भेंट करती हुईं श्रीमती जी. लता कृष्णा राव, सचिव (सामाजिक न्याय और अधिकारिता) एवं श्री श्याम कपूर, अप्रनि, एनएसएफडीसी।

आपके निदेशकगण, निगम के कर्मचारियों द्वारा वर्ष के दौरान समर्पित की गई सेवाओं के प्रति आभार व्यक्त करते हैं जिसके परिणामस्वरूप लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार की अंतर मंत्रालयी समिति द्वारा निर्धारित समझौता–ज्ञापन लक्ष्य के तहत 'उत्कृष्ट' निष्पादन श्रेणी प्राप्त हुई।

आपके निदेशकगण, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को आपके निगम को बेहतर परिणाम प्राप्ति के लिए समय–समय पर मार्गदर्शन देने में सतत सहायता करने के लिए हृदय से धन्यवाद देते हैं । आपके निदेशकगण, कंपनी कार्य विभाग, लोक उद्यम विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक एवं राज्य स्तर के अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगमों तथा अन्य चैनलाइजिंग एजेंसियों द्वारा दी गई सतत सहायता के प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं।

आपके निदेशकगण, अन्य सरकारी विभागों एवं एजेंसियों, कंपनी के लेखापरीक्षकों की सतत् सलाह एवं मार्गदर्शन के प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं।

कृते निदेशक मंडल तथा उनकी ओर से

(श्याम कपूर)

अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक

डिन : 02643416

स्थान : दिल्ली

दिनांक : 22 सितंबर, 2017

31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र

(लाख रुपयों में)

विवरण		टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार	01 अप्रैल, 2015 की स्थिति के अनुसार
I-	**परिसंपत्तियां**				
1	**गैर–चालू परिसंपत्तियां**				
	(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	3	498.82	514.67	537.34
	(ख) विनिधान संपत्ति	4	14.87	15.62	16.41
	(ग) अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां	5	4.32	1.91	3.03
	(घ) वित्तीय परिसंपत्तियां				
	(i) ऋण	6	72,861.15	51,800.72	46,362.08
	(ii) अन्य	7	16.56	2.62	3.91
	(ङ) अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियां	8	52.54	55.79	52.49
			73,448.26	52,391.33	46,975.26
2	**चालू परिसंपत्तियां**				
	(क) वित्तीय परिसंपत्तियां				
	(i) नकद और नकद के समकक्ष	9	1,848.79	1,789.58	1,779.14
	(ii) उपर्युक्त (i) के अलावा बैंक शेष	10	31,075.04	41,325.97	32,715.73
	(iii) ऋण	6	55,373.96	47,334.41	47,344.09
	(iv) अन्य	11	4,333.77	3,379.87	3,295.62
	(ख) अन्य चालू परिसंपत्तियां	12	9.03	3.04	1.42
	(ग) चालू कर परिसंपत्ति (निवल)	13	9.81	7.36	5.93
			92,650.40	93,840.23	85,141.93
	कुल परिसंपत्तियां		**166,098.66**	**146,231.56**	**132,117.19**
II-	**इक्विटी और दायित्व**				
1	**इक्विटी**				
	(क) इक्विटी शेयर पूंजी	14	121,802.00	99,813.00	98,180.00
	(ख) अन्य इक्विटी	15	42,785.47	45,830.82	32,898.91
			164,587.47	**145,643.82**	**131,078.91**
2	**दायित्व**				
(i)	**गैर–चालू दायित्व**				
	(क) प्रावधान	16	240.93	261.84	551.24
			240.93	261.84	551.24

(लाख रुपयों में)

विवरण		टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार	01 अप्रैल, 2015 की स्थिति के अनुसार
(ii)	चालू दायित्व				
	(क) वित्तीय दायित्व				
	(i) अन्य	17	1,104.09	183.36	399.15
	(ख) अन्य चालू दायित्व	18	13.98	42.99	20.40
	(ग) प्रावधान	16	152.18	99.55	67.49
			1,270.26	325.90	487.04
	कुल इक्विटी और दायित्व		**166,098.66**	**146,231.56**	**132,117.19**
III-	वित्तीय विवरणों से संलग्न टिप्पणियों को देखें।				

हमारी समतिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते माथुर गुप्ता एंड एसोसिएट्स

सनदी लेखाकार
एफआरएनः 003962 एन

हo	हo	हo	हo
(एम.एस.छतवाल)	(राजेश बिहारी)	(देवानन्द)	(अन्नु भोगल)
प्रबंधक (वित्त)	उप महाप्रबंधक	महाप्रबंधक	कंपनी सचिव

हo
सुनील कुमार गुप्ता
साझेदार
सदस्यता संख्या.083012

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 21 अगस्त, 2017

हo
(एस. एम. आवले)
निदेशक
डीआईएन–06804536

हo
(श्याम कपूर)
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
डीआईएन–02643416

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय का विवरण

(लाख रुपयों में)

विवरण		टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2017 के लिए	31 मार्च, 2016 के लिए
I	प्रचालनों से प्राप्त राजस्व	19	2,887.58	2,343.09
II	अन्य आय	20	3,521.18	3,673.43
III	**कुल राजस्व (I+II)**		**6,408.76**	**6,016.52**
IV	व्यय			
	कर्मचारी हित व्यय	21	971.06	864.98
	अन्य व्यय	22	300.95	221.86
	वित्त लागत	23	9.40	1.88
	मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	24	38.49	36.62
	एससीए को प्रोत्साहन	25	27.07	-
	प्रशिक्षण व्यय – लाभार्थी	26	97.07	346.40
	अशोध्य और संदिग्ध ऋण	27	2.73	72.18
	मृत्यु होने पर ऋण माफी खाता	28	-	60.73
	कुल व्यय (IV)		**1,446.77**	**1,604.65**
V	असाधारण मदों और करों से पूर्व व्यय से अधिक आय (III - IV)		4,961.99	4,411.87
VI	असाधारण मदें	29	(0.28)	0.26
VII	कर–पूर्व व्यय से अधिक आय (V - VI)		4,962.27	4,411.61
VIII	कर व्ययः			
	(1) वर्तमान कर		-	-
	(2) आस्थगित कर		-	-
IX	निरंतर प्रचालनों की अवधि के लिए व्यय से अधिक आय (VII - VIII)		**4,962.27**	**4,411.61**
X	अनिरंतर प्रचालनों से व्यय से अधिक आय		-	-
XI	अनिरंतर प्रचालनों का कर व्यय		-	-
XII	अनिरंतर प्रचालनों से व्यय से अधिक आय (X - XI)		-	-
XIII	इस अवधि के लिए व्यय से अधिक आय (IX + XII)		**4,962.27**	**4,411.61**
XIV	**अन्य व्यापक आय**			
	क (i) वह मदें, जिन्हें आय एवं व्यय लेखे में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।	30	1.04	0.14
	क (ii) उन मदों से संबंधित आयकर, जिसे आय एवं व्यय लेखे में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।		-	-
	ख (i) वह मदें, जिन्हें आय एवं व्यय लेखे में पुनः वर्गीकृत किया जाएगा।		-	-
	ख (ii) उन मदों से संबंधित आयकर, जिन्हें आय एवं व्यय लेखे में पुनः वर्गीकृत किया जाएगा।		-	-
XV	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (XIII+XIV) (जिसमें व्यय से अधिक आय और इस अवधि के लिए अन्य व्यापक आय शामिल है)		**4,963.31**	**4,411.75**

(लाख रुपयों में)

विवरण		टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2017 के लिए	31 मार्च, 2016 के लिए
XVI	प्रति इक्विटी शेयर अर्जन:			
	(निरंतर प्रचालन से)			
	(1) मूलभूत (₹ में)	31	43.69	44.34
	(2) तरलीकृत (₹ में)	31	43.67	43.99
XVII	प्रति इक्विटी शेयर अर्जन:			
	(अनिरंतर प्रचालन से)			
	(1) मूलभूत (₹ में)	31	-	-
	(2) तरलीकृत (₹ में)	31	-	-
XVIII	प्रति इक्विटी शेयर अर्जन:			
	(अनिरंतर और निरंतर प्रचालन के लिए)			
	(1) मूलभूत (₹ में)	31	43.69	44.34
	(2) तरलीकृत (₹ में)	31	43.67	43.99
XIX	वित्तीय विवरणों की संलग्न टिप्पणियों को देखें			

हमारी समतिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते माथुर गुप्ता एंड एसोसिएट्स

सनदी लेखाकार
एफआरएन: 003962 एन

ह०
(एम.एस.छतवाल)
प्रबंधक (वित्त)

ह०
(राजेश बिहारी)
उप महाप्रबंधक

ह०
(देवानन्द)
महाप्रबंधक

ह०
(अन्नु भोगल)
कंपनी सचिव

ह०
सुनील कुमार गुप्ता
साझेदार
सदस्यता संख्या.083012

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 21 अगस्त, 2017

ह०
(एस. एम. आवले)
निदेशक
डीआईएन–06804536

ह०
(श्याम कपूर)
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
डीआईएन–02643416

31 मार्च, 2017 को समाप्त अवधि के लिए इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण (एसओसीईई)

क. इक्विटी शेयर पूंजी

(लाख रुपयों में)

विवरण	राशि
01 अप्रैल, 2016 को शेष	99,813.00
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी का निर्गम	21,989.00
31 मार्च, 2017 को शेष	**121,802.00**

ख. अन्य इक्विटी

विवरण	आबंटन के लिए लंबित शेयर आवेदन राशि	आरक्षित और अधिशेष		कुल
		विशेष आरक्षित	सामान्य आरक्षित	
वर्ष के आरंभ में बकाया शेष	8,367.00	2,607.15	34,929.08	45,903.23
पूर्व अवधि समायोजन (टिप्पणी 36 देखें)	-	-	(72.40)	(72.40)
वर्ष के आरंभ में पुनः उल्लिखित बकाया शेष	**8,367.00**	**2,607.15**	**34,856.68**	**45,830.83**
वर्ष के लिए लाभ	-	-	4,962.27	4,962.27
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय	-	-	1.04	1.04
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	**-**	**-**	**4,963.31**	**4,963.31**
विशेष आरक्षित में अंतरण	-	496.23	(496.23)	-
विशेष आरक्षित निधि निवेश पर ब्याज	-	180.34	-	180.34
वर्ष के दौरान प्राप्त शेयर आवेदन राशि	13,800.00	-	-	13,800.00
शेयर पूंजी का निर्गम	(21,989.00)	-	-	(21,989.00)
वर्ष के अंत में बकाया शेष	**178.00**	**3,283.72**	**39,323.76**	**42,785.48**

31 मार्च, 2016 को समाप्त अवधि के लिए इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण (एसओसीईई)

क. इक्विटी शेयर पूंजी

(लाख रुपयों में)

विवरण	राशि
01 अप्रैल, 2015 को शेष	**98,180.00**
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी का निर्गम	1,633.00
31 मार्च, 2016 को शेष	**99,813.00**

ख. अन्य इक्विटी

विवरण	आबंटन के लिए लंबित शेयर आवेदन राशि	आरक्षित और अधिशेष		कुल
		विशेष आरक्षित	सामान्य आरक्षित	
वर्ष के आरंभ में बकाया शेष	-	2,012.82	30,964.97	32,977.79
पूर्व अवधि समायोजन (टिप्पणी–36 देखें)	-	-	(78.89)	(78.89)
वर्ष के आरंभ में पुनः उल्लिखित बकाया शेष	**-**	**2,012.82**	**30,886.08**	**32,898.90**
वर्ष के लिए लाभ	-	-	4,411.61	4,411.61
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय	-	-	0.14	0.14
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	**-**	**-**	**4,411.75**	**4,411.75**
विशेष आरक्षित में अंतरण	-	441.16	(441.16)	-
विशेष आरक्षित निधि निवेश पर ब्याज	-	153.17	-	153.17
वर्ष के दौरान प्राप्त शेयर आवेदन राशि	8,367.00	-	-	8,367.00
वर्ष के अंत में बकाया शेष	**8,367.00**	**2,607.15**	**34,856.67**	**45,830.82**

हमारी समतिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते माथुर गुप्ता एंड एसोसिएट्स

सनदी लेखाकार
एफआरएनः 003962 एन

ह०
(एम.एस.छतवाल)
प्रबंधक (वित्त)

ह०
(राजेश बिहारी)
उप महाप्रबंधक

ह०
(देवानन्द)
महाप्रबंधक

ह०
(अन्नु भोगल)
कंपनी सचिव

ह०
सुनील कुमार गुप्ता
साझेदार
सदस्यता संख्या.083012

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 21 अगस्त, 2017

ह०
(एस. एम. आवले)
निदेशक
डीआईएन–06804536

ह०
(श्याम कपूर)
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
डीआईएन–02643416

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह का विवरण

(लाख रुपयों में)

विवरण		31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए
क. प्रचालन क्रियाकलापों से नकद प्रवाह			
असाधारण मदों और कर से पहले व्यय से अधिक आय		**4,962.27**	**4,411.61**
प्रचालन क्रियाकलापों द्वारा प्रावधान किए गए निवल नकद के प्रति निवल लाभ का सामांजस्य के लिए समायोजन			
मूल्यह्रास		38.49	36.62
सुनिश्चित लाभ योजनाओं के पुनर्मापन पर अन्य व्यापक आय		1.04	0.14
परिसंपत्तियां की बिक्री/हानिकरण/विनिमय पर हानि/(लाभ)		(0.28)	0.26
प्रचालन परिसंपत्तियों और दायित्वों में परिवर्तनों से पहले प्रचालन लाभ	**(1)**	**5,001.52**	**4,448.63**
निम्नलिखित के लिए समायोजनः			
गैर–चालू ऋणों में कमी/(वृद्धि)		(21,060.43)	(5,438.64)
अन्य गैर–चालू वित्तीय परिसंपत्तियों में कमी/(वृद्धि)		(13.94)	1.29
अन्य गैर–चालू परिसंपित्तयों में कमी/(वृद्धि)		3.25	(3.30)
चालू ऋण में कमी/(वृद्धि)		(8,039.55)	9.68
अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियों में कमी/(वृद्धि)		(953.90)	(84.25)
अन्य चालू परिसंपत्तियों में कमी/(वृद्धि)		(5.99)	(1.62)
चालू कर परिसंपत्तियों में कमी/(वृद्धि)		(2.45)	(1.43)
अन्य बैंक शेष में कमी/(वृद्धि)		10,250.93	(8,610.24)
अन्य चालू वित्तीय दायित्वों में (कमी)/वृद्धि		920.73	(215.79)
अन्य चालू दायित्वों में (कमी)/वृद्धि		(29.01)	22.59
गैर–चालू प्रावधानों में (कमी)/वृद्धि		(20.91)	(289.40)
चालू प्रावधानों में (कमी)/वृद्धि		52.63	32.06
	(2)	(18,898.63)	(14,579.05)
प्रचालन से सृजित नकद	**(1+2)**	**(13,897.11)**	**(10,130.42)**
प्रदत्त आयकर		-	-
प्रचालन क्रियाकलापों से निवल नकद बहिर्वाह		**(13,897.11)**	**(10,130.42)**

(लाख रुपयों में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए
ख. निवेश क्रियाकलापों से नकद प्रवाह		
संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की बिक्री/निपटान	(0.64)	0.83
संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की खरीद	(21.31)	(13.14)
अमूर्त परिसंपत्तियां की खरीद	(3.35)	-
विशेष आरक्षित निधि निवेश पर ब्याज	180.34	153.17
निवेशकरण क्रियाकलापों से निवल नकद अंतर्वाह	**156.32**	**140.86**
ग. वित्तपोषण क्रियाकलापों से नकद प्रवाह		
शेयर पूंजी का निर्गम	13,622.00	1,633.00
आबंटन के लिए लंबित शेयर आवेदन राशि	178.00	8,367.00
वित्तपोषण क्रियाकलापों से निवल नकद अंतर्वाह	**13,800.00**	**10,000.00**
नकद और नकद समकक्ष में निवल वृद्धि/(कमी) (क+ख+ग)	59.21	10.44
वर्ष के आरंभ में नकद और नकद समकक्ष (टिप्पणी 9 देखें)	1,789.58	1,779.14
अंतिम नकद और नकद समकक्ष	**1,848.79**	**1,789.58**
नकद और नकद समकक्ष का सामंजस्य		
तुलन–पत्र के अनुसार नकद और नकद समकक्ष	1,848.79	1,789.58
वर्ष के अंत की स्थिति के अनुसार नकद और नकद समकक्ष (टिप्पणीः 9 देखें)	**1,848.79**	**1,789.58**

टिप्पणियांः–

1. यह नकद प्रवाह विवरण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए नकद प्रवाह विवरण पर भारतीय लेखांकन मानक–7 में दी गई अप्रत्यक्ष पद्धति के अंतर्गत तैयार किया गया है।
2. पिछले वर्ष के आंकड़ों की पुष्टि करने और उन्हें चालू वर्ष के आंकड़ों के साथ तुलना योग्य बनाने के लिए पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः वर्गीकृत/पुनः समूहीकृत किया गया है।

हमारी समतिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते माथुर गुप्ता एंड एसोसिएट्स

सनदी लेखाकार
एफआरएनः 003962 एन

ह०
(एम.एस.छतवाल)
प्रबंधक (वित्त)

ह०
(राजेश बिहारी)
उप महाप्रबंधक

ह०
(देवानन्द)
महाप्रबंधक

ह०
(अन्नु भोगल)
कंपनी सचिव

ह०
सुनील कुमार गुप्ता
साझेदार
सदस्यता संख्या.083012

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

ह०
(एस. एम. आवले)
निदेशक
डीआईएन–06804536

ह०
(श्याम कपूर)
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
डीआईएन–02643416

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 21 अगस्त, 2017

माथुर एंड गुप्ता एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

परिशिष्ट–क
(निदेशक मंडल की रिपोर्ट का पैरा 16.1 देखें)

वित्तीय विवरणिकाओं पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के सदस्यगणों को

भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने **नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन** ('कंपनी') के 31 मार्च, 2017 संबंधी तुलन–पत्र, उसी तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के आय–व्यय विवरण (अन्य विस्तृत आय सहित) और नकद प्रवाह विवरण और उस समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश और अन्य विवरणात्मक सूचना (जिसे इसमें आगे "भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण" कहा गया है) शामिल हैं, के भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है।

वित्तीय विवरणिका के लिए प्रबंध समिति का उत्तरदायित्व

भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण तैयार करने और प्रस्तुत करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 134(5) में उल्लिखित मामलों के लिए कंपनी का निदेशक मंडल जिम्मेदार है, जो इसके अंतर्गत जारी किए गए सुसंगत नियम के साथ पठित कंपनी अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्धारित भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) सहित भारत में आमतौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय स्थिति, अन्य व्यापक आय सहित वित्तीय कार्य–निष्पादन, नकद प्रवाहों और कंपनी की इक्विटी में परिवर्तनों का सही और उचित दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं।

इस उत्तरदायित्व में अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त लेखा रिकार्डों का अनुरक्षण, कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षार्थ, उपयुक्त लेखांकन नीतियों के चयन व प्रायोज्यता, उपयुक्त और विवेकी निर्णय एवं अनुमान लगाना तथा उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हेतु डिजाइन करना, उनको कार्यान्वित करना और अनुरक्षित करना जोकि भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणिकाओं की तैयारी और प्रस्तुति संबंधी लेखा रिकार्डों की शुद्धता और पूर्णता सुनिश्चित करके प्रभावी रूप से प्रचालन में हैं तथा जो सही व उचित दृष्टिकोण देते हैं और विवरण सामग्री मिथ्या वर्णन, धोखा या त्रुटि से मुक्त हैं।

लेखा परीक्षक का दायित्व

हमारा उत्तरदायित्व अपनी लेखा परीक्षा पर आधारित इन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणिकाओं पर अपनी राय देना है।

हमने अधिनियम के प्रावधानों, लेखांकन एवं लेखा परीक्षा मानकों तथा अधिनियम के प्रावधानों एवं उसमें बनाए गए नियमों के अंतर्गत लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले आवश्यक मामलों को ध्यान में रखा है।

हमने अपनी लेखा परीक्षा, अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखा परीक्षा के मानकों के अनुसार की है। इन मानकों की अपेक्षा है कि हम नैतिक आवश्यकताओं के साथ पालन करें और उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए कि क्या भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणिकाएं मिथ्या वर्णन से मुक्त हैं के लिए योजना बनाएं एवं लेखापरीक्षा करें।

लेखा परीक्षा में, लेखा परीक्षा के साक्ष्यों को पाने की प्रक्रिया और भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की प्रक्रिया का निष्पादन शामिल है। चयनित प्रक्रिया लेखा परीक्षक के निर्णय पर आधारित है,

401–402, अंसल प्रगति दीप, लक्ष्मी नगर जिला केंद्र, दिल्ली–110 092
फोन और फैक्स : 011–22545170, 22424667
ई–मेल : mgaca@mgaca.net

माथुर एंड गुप्ता एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

जिसमें भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणिका के मिथ्या वर्णन के जोखिम का मूल्यांकन शामिल है, चाहे धोखे या त्रुटि के कारण हुआ है। इन जोखिमों का मूल्यांकन करने के लिए लेखापरीक्षक कंपनी की भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणिका की तैयारी में प्रासंगिक आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को मानते हैं। ये वित्तीय विवरणिकाएं लेखापरीक्षा की प्रक्रिया के निर्माण के लिए सही और उचित दृष्टिकोण देती है तथा ये उस परिस्थिति में उपयुक्त हैं। लेखापरीक्षा में, प्रयुक्त लेखांकन नीति की उपयुक्तता और कंपनी के निदेशकों द्वारा किए गए तर्कसंगत अनुमान के साथ भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणिकाओं की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन शामिल है।

हमें विश्वास है कि हमें प्राप्त लेखा परीक्षा के साक्ष्य पर्याप्त हैं और हमारी राय में भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणिकाओं पर समुचित आधार को बताते हैं।

योग्य राय का आधार

1) लेखांकन नीति संख्या 2.17 के अनुसरण में ऋणी लाभार्थियों की मृत्यु के मामले में ऋण की छूट के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

   हमें प्रबंधन द्वारा यह सूचित किया गया है कि आज की तारीख तक योजना के अंतर्गत ऋण की छूट के लिए पांच राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों नामतः पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा से अपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों से स्पष्टीकरण मांगे गए हैं, जो लंबित हैं। पूरी सूचना के अभाव में, छूट का कोई तर्कसंगत अनुमान नहीं लगाया जा सकता। सभी राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों के लिए इस प्रकार के मामलों की पहचान के अभाव में वित्तीय विवरणों पर इसके प्रभाव, यदि कोई हैं, का इस चरण में पता नहीं लगाया जा सकता और इस प्रकार हम इस पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

2) प्राप्ति योग्य ऋणों और अग्रिमों के शेष की पुष्टि कुछ राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों से प्राप्त नहीं हुई है। शेष की पुष्टि के अभाव में लेखा–पुस्तिकाओं के अनुसार ऋणों की अथशेष राशि को वित्तीय विवरणों में शामिल कर लिया गया है। भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर इस अनिश्चितता के परिणाम के प्रभाव, यदि कोई है, का वर्तमान में पता नहीं लगाया जा सकता। 31 मार्च, 2016, 31 मार्च, 2015 और 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्टें भी संशोधित की गई हैं।

अन्य मामले

(क) टिप्पणी संख्या 11.1 के अनुसार, कंपनी ने बिहार अनुसूचित जाति विकास निगम (बीएससीडीसी) से संदिग्ध देय धनराशियों के संबंध में 53.41 लाख रुपए की ब्याज आय बुक की है, जिसका 53.41 लाख रुपए की सीमा तक, प्रचालनों से राजस्व की अत्युक्तिपूर्ण कथन प्रभाव पड़ा है। तथापि, नीति संख्या 2.22(iv) के अनुसार इतनी ही धनराशि के अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान के सृजन के कारण कुछ सीमा तक व्यय से अधिक आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

(ख) लेखापरीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने, उनसे वसूली के कारण बिहार अनुसूचित जाति विकास निगम (बीएससीडीसी) के मामले में 94.10 लाख रुपए के अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए पुरांकित (रिटन बैक) प्रावधान किया है, जिसके परिणामस्वरूप उतनी धनराशि तक अधिशेष में वृद्धि हो गई है।

(ग) यह अवलोकन किया गया है कि अनेक एससीए ने भुगतानों में चूक की है, जिसके परिणामस्वरूप

401–402, अंसल प्रगति दीप, लक्ष्मी नगर जिला केंद्र, दिल्ली–110 092
फोन और फैक्स : 011–22545170, 22424667
ई–मेल : mgaca@mgaca.net

माथुर एंड गुप्ता एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

228.04 करोड़ रुपए तक की राशि का तीन वर्ष से अधिक का अतिदेय हो गया है। हालांकि ये ऋण राज्य सरकार की गारंटियों द्वारा प्रतिभूत है परंतु ये गारंटियां कभी भी भुनाई नहीं गई हैं, जिसके परिणामस्वरूप निधियां अवरुद्ध हो गई हैं।

(घ) लेखांकन नीति संख्या 2.17 के अनुसार प्रोत्साहनों और अन्य योजनाओं का लेखांकन नकद आधार पर किया जाता है, जो आईसीएआई द्वारा जारी किए गए भारतीय लेखांकन मानक–18 से सुसंगत नहीं है। इस गैर–अनुरूपता के लिए लेखाओं पर पड़ने वाला प्रभाव निश्चित किए जाने योग्य नहीं है।

हमारी राय इन मामलों के संबंध में योग्य/संशोधित नहीं है।

राय

हमारी राय और हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, **योग्य राय के लिए आधार के पैराग्राफ में बतायी सामग्री के प्रभाव को छोड़कर** उक्त भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण अपेक्षित तरीके से कंपनी अधिनियम द्वारा अपेक्षित सूचना को दर्शाते हैं और कंपनी के भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय प्रावधानों सहित भारत में स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों की पुष्टि में 31 मार्च, 2017 को निगम की स्थिति, उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए व्यय से अधिक लाभ और अपनी नकद प्रवाह विवरणिका और इक्विटी में परिवर्तन के मामले में सही और उचित दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं।

अन्य विधिक और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप–धारा (11) के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 ("आदेश") द्वारा यथापेक्षित कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश कंपनी पर लागू नहीं होता।

2. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत जारी किए गए निर्देशों के जरिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा यथापेक्षित, प्रबंधन से प्राप्त लिखित प्रतिवेदनों के आधार पर हम संलग्न **'अनुलग्नक क'** में विनिर्दिष्ट मामलों पर अपनी रिपोर्ट देते हैं।

3. अधिनियम की धारा 143(3) में यथापेक्षित हम लागू होने वाली सीमा तक रिपोर्ट करते हैं कि:

   (क) हमने वे सभी सूचनाएं एवं विवरण मांगे और प्राप्त किए हैं, जो हमारी सर्वोतम जानकारी और विश्वास के लिए आवश्यक थे।

   (ख) हमारी राय में कंपनी ने वे सभी समुचित लेखा बहियाँ रखी हैं, जोकि नियमानुसार आवश्यक हैं, जहाँ तक उन बहियों पर हमारी परीक्षा द्वारा सामने आया है।

   (ग) इस रिपोर्ट में वर्णित तुलन–पत्र, आय और व्यय विवरणिका, नकद प्रवाह विवरणिका और ईक्विटी में परिवर्तन का विवरण लेखा बहियों का अनुपालन करते हैं।

   (घ) हमारी राय में 'योग्य राय का आधार' के मद संख्या 1 और 2 में वर्णित मामले के प्रभाव को छोड़कर उक्त भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणिकाएँ भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों में, भारतीय लेखांकन मानक नियमावली, 2015 और अधिनियम के अन्य सुसंगत उपबंधों के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं।

401–402, अंसल प्रगति दीप, लक्ष्मी नगर जिला केंद्र, दिल्ली–110 092
फोन और फैक्स : 011–22545170, 22424667
ई–मेल : mgaca@mgaca.net

माथुर एंड गुप्ता एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

(ङ) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी की गई दिनांक 05 जून, 2015 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(ङ) के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की उप–धारा (2) सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होती।

(च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्ट पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और ऐसे नियंत्रणों की प्रचालन प्रभावकारिता की उपयुक्तता के संबंध में **'अनुलग्नक–ख'** पर हमारी पृथक रिपोर्ट का संदर्भ लें।

छ) कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में हमारी राय और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसारः

(i) कंपनी ने अपने भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणिकाओं में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव को प्रकट किया है।

(ii) कंपनी का व्युत्पत्तिक अनुबंधों सहित कोई भी दीर्घावधि अनुबंध नहीं है जिससे कोई सारवान पूर्वानुमान लगाने पर योग्य हानियां हुई हों।

(iii) ऐसा कोई मामला नहीं है जहाँ कंपनी द्वारा राशि को निवेशकों की शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरित किया जाना है।

(iv) कंपनी ने 08 नवंबर, 2016 से 30 दिसंबर, 2016 तक की अवधि के दौरान विनिर्दिष्टि बैंक टिप्पणियों में होल्डिंग और डीलिंग के संबंध में भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों में अपेक्षित प्रकटीकरण उपलब्ध करा दिए हैं। तथापि, हम यह रिपोर्ट करने के लिए पर्याप्त और समुचित लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने में असमर्थ हैं कि क्या प्रबंधन द्वारा हमें दिए गए प्रतिवेदन के अनुसार निगम के सरकारी दौरे/ प्रशासनिक कार्य के प्रति स्टाफ से वापस प्राप्त किए गए 15,000/– रुपए की सीमा तक प्रकटीकरण किया गया है – भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 48 देखें।

कृते माथुर गुप्ता एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 003962 एन

ह.

(सुनील कुमार गुप्ता)
साझेदार
सदस्यता सं. 083012

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 21 अगस्त, 2017

401–402, अंसल प्रगति दीप, लक्ष्मी नगर जिला केंद्र, दिल्ली–110 092
फोन और फैक्स : 011–22545170, 22424667
ई–मेल : mgaca@mgaca.net

परिशिष्ट–ग

(निदेशक मंडल की रिपोर्ट का पैरा 16.2 देखें)

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (ख) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणी

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, के 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) में वित्तीय प्रतिवेदन फ्रेमवर्क के अनुसार वित्तीय विवरणिका तैयार करना कंपनी प्रबंधन की जिम्मेदारी है। भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा अधिनियम की धारा 139(5) के तहत नियुक्त वैधानिक लेखापरीक्षक/लेखापरीक्षक, अधिनियम की धारा 143(10) के तहत विहित लेखा परीक्षणों के मानक के साथ स्वतंत्र लेखापरीक्षण पर आधारित, अधिनियम की धारा–143 के तहत वित्तीय विवरणिका पर अपनी राय देने के लिए जिम्मेदार है। उनके **21 अगस्त, 2017 के लेखापरीक्षण प्रतिवेदन** के अनुसार इसे पूर्ण किया हुआ माना जाना चाहिए।

मैंने, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की तरफ से अधिनियम की धारा 143(6)(क) के तहत **नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन** के 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए, वित्तीय विवरणिका पर अनुपूरक लेखापरीक्षण किया है यह अनुपूरक लेखापरीक्षण, स्वतंत्र ढ़ंग से, वैधानिक लेखापरीक्षकों के कार्यकारी कागजात को देखे बगैर किया गया है। यह लेखा परीक्षा प्राथमिक रूप से, वैधानिक लेखापरीक्षकों, और कंपनी के व्यक्तियों से पूछताछ तथा कुछ चुने हुए लेखा अभिलेखों की जांच के आधार पर की गयी है। मेरी लेखापरीक्षा के आधार पर मेरे ध्यान में विशेष कुछ नहीं आया है जिसमें वैधानिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट अथवा अनुपूरक के लिए कोई टिप्पणी उठे।

कृते भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक
तथा उनकी ओर से

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 26.09.2017

ह०

(एल. सिद्धार्थ सिंह)
मुख्य निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा
एवं पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड–IV